न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी :भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 287/2023

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1. रूघनाथराम पुत्र ठाकराराम जाति विश्नोई, निवासी–ग्राम फुलण, तहसील समदडी जिला बालोतरा।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार समदडी, जिला बालोतरा

राजस्व अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 23.11.2021 जो उपखंड अधिकारी, सिवाना, बालोतरा के द्वारा प्रकरण संख्या 56/2021 अनवान तहसीलदार समदडी बनाम राज0 सरकार में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1. श्री रोशनलाल, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री नवल सिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो.सं.एक की ओर से।

निर्णय

दिनांक 21 मई, 2024

अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या एक के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, सिवाना बालोतरा के समक्ष एक प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 130, 131, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम फूलण में डामर सडक से गिलों की ढाणी तक ख0सं0 638/597 व 511/181 में चालू सार्वजनिक रास्ता पाया परन्तु उक्त रास्ते का रेकर्ड में अंकन नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र में उल्लेखित खसरान की रास्ते की रकबा भूमि का राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज करते हुए नक्शे में तरमीम किये जाने का आदेश प्रदान करावें। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 23.11.2021 को अपीलाधीन आदेश के द्वारा प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए उल्लेखित खसरान भूमि का संलग्न नजरी नक्शा अनुसार राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित कर दिया। उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष दिनांक 22.08.2023 को पेश की है।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित है। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपील प्रस्तुत करने हेतु धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश करते हुए कथन किया कि

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अपीलार्थी विवादित भूमि खेत ख0सं0 284/181 का खातेदार काश्तकार है तथा मौके पर कोई रास्ता नहीं चल रहा है ऐसे में अपीलार्थी को पक्षकार बनाये बिना ही आलौच्य आदेश पारित किया है तथा सेग्रीगेशन की कार्यवाही में गलत तरमीम करते हुए ख0सं0 511/181 कर दिया गया है। इस कारण अपीलार्थी व्यथित पक्षकार है। वर्तमान समय में पटवारी हल्का अपीलार्थी को अतिक्रमी होने का कहा गया जिस पर अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जाकर दिनांक 14.8.2023 को आवेदन किया तब प्रथम बार जानकारी हुई। अतः उपरोक्त आधारों पर अपील पेश करने हेतु अनुमति प्रदान करावें तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जावें। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने बाबत विरोध प्रकट किया। अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा अपील प्रस्तुत करने हेतु धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र एवं धारा 05 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र में प्रकट किये गये तथ्यों के आधार पर न्यायहित में अनुमति देते हुए तथा अपील को अन्दर म्याद शुमार किया जाता है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने उपरोक्त तथ्यों को दोहराते हुए यह भी कथन किया कि रेस्पोडेन्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश प्रार्थना पत्र में उल्लेखित खसरान भूमि का पडौसी खातेदार है जिन्हें पक्षकार बनाये बिना ही तथा सुनवाई का कोई अवसर भी नहीं दिया गया है जिस कारण अपीलार्थी अपना पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नहीं रख सके जो प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्त करने योग्य है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि मूल खसरा संख्या 181 में से खूब सारे व्यक्तियों को आवंटन किया गया तथा नक्शें में तरमीम की गई जो सेटलमेन्ट के नक्शे में तरमीम की हुई है वर्तमान में सेग्रीगेशन के दौरान राजस्व कर्मचारियों द्वारा ख0सं0 511/1/181 किस्म रेतली का खसरा दर्ज किया गया जबकि मौके पर न तो इस तरह की जमीन उपलब्ध है तथा न ही तरमीम मौके अनुसार सही की गई है। मौके पर कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है, अपीलाधीन आदेशसे मौके पर विवाद उत्पन्न हुआ है, इस कारण अपीलार्थी व्यथित पक्षकार है। तहसीलदार की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने ढंग से स्वीकार कर दिया गया। अपीलाधीन आदेश मे अन्य व्यक्तियों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। अपीलार्थी को विधि के प्रावधानों की अनदेखी करते हुए तथा विधिक प्रकिया अपनाते हुए व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

पारित किया गया है। अतः अपीलान्ट की अपील को स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जावे।

प्रत्युतर में रेस्पोडेन्ट ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि तहसीलदार सिवाना के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि ग्राम डामर सडक से गीलों की ढाणी तक के ख0सं0 638/597 व 511/181 खेत खसरा भूमि में सार्वजनिक रास्ता चालू पाये जाने पर उक्त रास्ते का अंकन/तरमीम राजस्व रेकर्ड में किये जाने का अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो बहाल रखे जाने योग्य है।

हमने अपीलान्ट के अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता की ओर से की गई बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अपीलांधीन आदेश इत्यादि का अवलोकन किया गया जिससें यह पाया गया कि तहसीलदार सिवाना की ओर से धारा 130, 131, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र पेश करते हुए ग्राम फूलण में डामर सडक से गिलों की ढाणी तक ख0सं0 638/597 व 511/181 में चालू सार्वजनिक रास्ता पाया परन्तु उक्त रास्ते का रेकर्ड में अंकन नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र में उल्लेखित खसरान की रास्ते की रकबा भूमि का राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज करते हुए नक्शे में तरमीम किये जाने का आदेश प्रदान करावें। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व सुनवाई व अपना पक्ष रखे जाने का अवसर नहीं दिया जाना प्रकट होता है। साथ ही कि अपीलान्ट ने कथन किया कि है कि मूल खसरा संख्या 181 में से अलग–अलग कई व्यक्तियों को आवंटन किया गया तथा नक्शें में तरमीम की गई जो सेटलमेन्ट के नक्शे में तरमीम की हुई है वर्तमान में सेग्रीगेशन के दौरान राजस्व कर्मचारियों द्वारा ख0सं0 511/1/181 किस्म रेतली का खसरा दर्ज किया गया जबकि मौके पर न तो इस तरह की जमीन उपलब्ध है तथा न ही तरमीम मौके अनुसार सही की गई है और मौके पर कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है, अपीलाधीन आदेश से मौके पर विवाद उत्पन्न हुआ है। प्राकृतिक एवं नैसर्गिक के सिद्धान्त के अनुसार प्रभावित पक्षकार को उनके विरूद्ध किसी प्रकार का आदेश पारित करने से पूर्व विधि अनुसार सुनवाई एवं अपना पक्ष रखे जाने का पर्याप्त अवसर दिया जाना आवश्यक है। इस स्थिति में प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के दृष्टिगत हमारी विनम्र राय में अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर उपरोक्त ऑब्जवेशन के मध्यनजर उपखण्ड अधिकारी, सिवाना को प्रकरण में पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित रहेगा।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतः उपरोक्त तथ्यों पर मनन करने एवं विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, सिवाना को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त ऑब्जर्वेशनों को मध्यनजर रखते हुए एवं मौका जॉच रिपोर्ट तलब करने के उपरान्त अपीलान्ट को उल्लेखित खसरान भूमि के सम्बन्ध में अपीलान्ट को अपना पक्ष रखे जाने तथा सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात यदि अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार से संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती हो तो पुनः यथोचित आदेश पारित करें। कोई भी पक्ष उपरोक्त कदीमी रास्ते को बन्द नहीं करें। निर्णय आज दिनांक 21 मई, 2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर